न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

वाद संख्या – 19 / 2018

निर्णय दिनांक– 30.06.2018

दरम्यान

1.रामस्वरूप पुत्र माधो जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

2.कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पुत्र माधो जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

3.रामनरेश पुत्र रामू जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

4.कमला पुत्री रामू जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

5.कालूराम पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

6.मोतीलाल पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

7.सुगना पुत्री रामू जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

8.धन्नी पत्नी माधो जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

9.प्रभू पुत्र रामू जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

10.बाबूलाल पुत्र माधो जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

11.सुगनकी पत्नी रामू जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

12.[illegible] पत्नी किशनलाल जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

13.मुरलीधर पुत्र रामू जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

14.राजू पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

15.रामस्वरूप पुत्र माधो जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

16.पिंटू पुत्री किशनलाल जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

17.सोना पुत्री रामू जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

18.हरबाई पुत्री माधो जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

19.हेतराम पुत्र रामू जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

20.ढोला पुत्र माधो जाति गुर्जर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
3. भूमि विकास बैंक उनियारा द्वारा शाखा प्रबन्धक

—अप्रार्थीगण

वाद धारा [illegible]

उपस्थित— 1. श्री मोहनलाल ओझा वकील वादीगण

2.पैरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:—

यह है कि वादीगण के मेरे खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा 171 रकबा 1.35 है० वाके ग्राम डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। वादीगण

उप खण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को साबिक आराजी ख0न0 9/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम डाबला से बने हाल ख0न0 171 रकबा 1.35 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को यह भी आदेशित किया जाता है कि उक्त आराजी खातेदारी मे दर्ज करने से पूर्व कीमत राशि राजकोष मे जमा करे। उसके बाद राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो । फरिकैन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.उद्दा पुत्र माधो जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
2.कन्हैयालाल उर्फ काना पुत्र माधो जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
3.कमलेश पुत्र लल्लू जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
4.कमला पुत्री लल्लू जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
5.गणेश पुत्र किशनलाल जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
6.गीताराम पुत्र किशनलाल जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
7.तुलसा पुत्री लल्लू जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
8.धन्नी पत्नी माधों जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
9.प्रभू पुत्र लादू जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
10.बाबूलाल पुत्र माधों जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
11.मु0जानकी पत्नी लल्लू जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
12.मु0 सोसर पत्नी किशनलाल जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
13.मूलचन्द पुत्र लादू जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
14.राजू पुत्र किशनलाल जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
15.रामकुंवार पुत्र माधों जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
16.रिंकु पुत्री किशनलाल जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
17.सीमा पुत्री लल्लू जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
18.हरबाई पुत्री माधों जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
19.हंसराज पुत्र लल्लू जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
20.हीरा पुत्र माधों जाति गूजर निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
3. भूमि विकास बैंक उनियारा द्वारा शाखा प्रबन्धक

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती इन्द्राजात

मुकदमा नम्बर :— 19 वर्ष 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री के0एल0 ठाडा वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दइ व पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण को साबिक आराजी ख0न0 9/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम डाबला से बने हाल ख0न0 171

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

आराजी पर वादीगण का अपने पूर्वज भूरा पुत्र रामनाथ गुर्जर से विरासत मे प्राप्त हुई है तब से ही पूर्व मे वादीगण के पूर्वज का तथा उनके मरने के बाद वादीगण का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी सम्वत 2026 मे भूरा पुत्र रामनाथ गुर्जर सा0 देह की खातेदारी मे थी। वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम गैर खातेदारी मे चली आ रही है। उक्त आराजी गैर खातेदारी मे दर्ज होने के कारण वादीगण वादग्रस्त आराजी का विकास कार्य करवाने, कृषि अनुदान प्राप्त करने आदि मे काफी परेशानी हो रही है। वादीगण ने गेर खातेदारी से खातेदारी मे लगाये जाने बाबत कई बार पटवारी हल्का व तहसीलदारजी को निवेदन किया गया, परन्तु उनके द्वारा सक्षम न्यायालय मे वाद पत्र पेश करने के कारण यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व रेकार्ड मे वादग्रस्त आराजी गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज कर राजस्व रेकार्ड दुरुस्त किया जाना उचित है।

यह है कि वादीगण की अधियाचना है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 171 रकबा 1.35 है0 वाके ग्राम डाबला तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्त कराया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं उनके पूर्वज का वादग्रस्त आराजीयात सं0 2026 से गैर खातेदारी मे चली आ रही है। वर्तमान मे भी गेर खातेदारी मे दर्ज है। खातेदारी प्रदान किया जाना उचित है।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2073 प्रदर्श 3, नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2041–2060 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2026 प्रदर्श 5 पेश किये है।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन मे पी.डब्लू. 1 प्रभू, पी.डब्लू. 2 रामावतार, पी. डब्लू. 3 रामदयाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है।

वादींगण के वकील की बहस सुनी गयी। बहस पर गोर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रदर्श 5 नकल जमाबन्दी सम्वत 2026 वाके ग्राम डाबला मे साबिक आराजी ख0न0 9/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूरा पुत्र रामनाथ गूजर सा0 देह मु0क0 15 साल गेर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 4 नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक ख0न0 9/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा के हाल ख0न0 171 रकबा 1.35 है0 बनना पाये जाते है। साक्ष्य वादीगण के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का देरीना कब्जा काश्त होना पाया जाता है। साबिक आराजी ख0न0 9/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा पर भूरा पुत्र रामनाथ गूजर का मु0क0 15 साल होने से तहसीलदार उनियारा के द्वारा गैर खातेदारी प्रदान की गई है। पेरोकार सरकार ने भी उक्त आराजी की गेर खातेदारी से खातेदारी दिये जाने मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा।

Scanned by CamScanner

रकबा 1.35 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को यह भी आदेशित किया जाता है कि उक्त आराजी खातेदारी मे दर्ज करने से पूर्व कीमत राशि राजकोष मे जमा करे। उसके बाद राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 08 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner